

अति तत्काल
न्यायालय के निर्णय का अनुपालन

संख्या एन-13011/09/2018-बीसी.।।।

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 31 अगस्त 2018

सेवा में

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपालन।

संपूर्ण बेहुरा बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर 2005 के डब्लूपी (सी) संख्या 473 में 2018 के विविध आवेदन संख्या 2069 के मामलों में दिए गए निर्देशों का हाल ही में सेवा संकल्प एवं विकास समिति नामक एनजीओ द्वारा संचालित तथा सरकारी वित्त पोषित बाल गृह में बच्चों के साथ कथित बलात्कार और दुर्व्यवहार के मामले में अनुपालन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 3.8.2018 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उपरोक्त उद्धृत मामले के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2.8.2018 के आदेश के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

2. इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिनांक 7.8.2018 को एक आदेश पारित किया है जिसमें अन्य मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी आगे के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों वाले आदेश का प्रासंगिक उद्धरण नीचे उद्धृत किया गया है.

“हमने मीडिया से पहले ही कहा है कि वह बिहार में यौन शोषण के पीड़ितों की तस्वीरों को विरूपित या धुंधले रूप में भी न दिखाए”

यह कहने की जरूरत नहीं है कि 2 अगस्त, 2018 को हमारे द्वारा पहले ही जारी किया गया निर्देश न केवल मुजफ्फरपुर, बिहार में हुई घटना पर लागू होता है और जिसकी खबर प्रेस में व्यापक रूप से छपी है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं कि पीड़ितों की

सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और सार्वजनिक हित में कहीं भी यौन शोषण के पीड़ितों की तस्वीरों को मॉर्फ़ड या धुंधले रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।"

3. तदनुसार, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध है कि वे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/-

(अमित कटोच)

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 23386394

प्रेषित प्रतिलिपि:

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनेटेक हाउस, तृतीय तल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307
2. श्री पुनीत गोयनका, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049
3. श्री राकेश शर्मा, एसोसिएशन ऑफ रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया (एआरटीबीआई), बी-116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110065